न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 02/19 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्ट :– 1.श्रीमती भीखीदेवी पत्नि लालूराम
जाति ब्राहमण, निवासी भोजावास (बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सरपंच, ग्राम पंचायत बिसारणिया
2. घेवरचन्द 3.कासीराम 4.घमण्डीराम 5.श्रीराम पि.लाखाराम
6. रामेश्वरलाल 7.श्यामलाल पि.लालूराम 8.बाबूलाल
9. अशोककुमार पि.नैनूराम 10.रूपकिशोर पुत्र ओमप्रकाश
11. जेठीदेवी पत्नि ओमप्रकाश, जाति ब्राहमण
निवासी भोजावास (बिसारणिया)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण

अपीलाण्ट :– श्री पवन धारीवाल
उतरदातागण :– श्री दोष मोहम्मद (1 से 4, 6 से 11)

निर्णय

दिनांक 20.06.2022

अपीलाण्ट की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा भोजावास (बिसारणिया), तहसील चौहटन में अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 से 10 की संयुक्त खातेदारी एक खेत खसरा सं. 820 रकबा 116.0[illegible] (जिसके नये खसरा सं. 850/820 रकबा 115.07 बीघा) का आया हुआ है। [illegible] अपीलाण्ट के पति मुतवफी लालूराम पुत्र लाखाराम एवं अन्य सहखातेदारों के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। मुतवफी लालूराम के देहान्त होने पर उसके वैध वारिशो अपीलाण्ट व उसके दो पुत्रों उतरदाता सं. 6 व 7 के नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को बताया था। लेकिन लालूराम के फौतगी पर उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 39 में सहवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अपीलाण्ट का नाम बाबूदेवी बेवा लालूराम दर्ज किया गया । जबकि उक्त विवादित नामान्तरकरण में लालूराम के विधिक वारिशान में भीखीदेवी, रामेश्वरलाल व श्यामलाल थे परन्तु भीखीदेवी के स्थान पर बाबूदेवी के गलत नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 39 मौजा बिसारणिया जो लालूराम के फौत होने पर भरा गया है उसको निरस्त करते हुए लालूराम के विधिक उतराधिकारियों के सही नाम से स्वीकृत कराने बाबत पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता सं. 01 से 4 एवं 6 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री दोष मोहम्मद द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष उतरदातागण को जरिये रजि.एडी नोटिस के तलब किया गया । लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः शेष उतरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 01 से 4 एवं 6 से 11 के वकील उपस्थित हुए। उतरदाता सं. 01 से 4 एवं 6 से 11 के अधिवक्ता कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः वकील अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 01 से 4 एवं 6 से 11 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्टगण ने अपनी बहस में अपील में पेश कथनों को दोहराते हुए नामान्तरकरण सं. 39 को निरस्त करने का निवेदन किया। उतरदाता सं. 01 से 4 एवं 6 से 11 के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील को स्वीकार किया तथा कथन किया किया यदि नामान्तरकरण सं. 39 को निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । जिससे आधार पर स्पष्ट होता है कि उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 39 मौजा बिसारणिया काबिले खारीज है।

अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 39 मौजा बिसारणिया को खारीज किया जाकर तहसीलदार धनाऊ को पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन